न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2023-314RAAJodhpur2023-157RTA223 Ranveersingh ors Vs Jabarsingh etc
2023-315RAAJodhpur2023-158RTA223 Chhailkanwar Vs Jabarsingh etc

01. रणवीरसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
02. करणसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
03. मंगलसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
    सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– गजसिंहपुरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. जबरसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह
2. दलीपसिंह उर्फ दलपतसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह
3. रसालकंवर पत्नी श्री फतेहसिंह
4. किरणकंवर पुत्री श्री फतेहसिंह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– गजेसिंहपुरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
5. भंवरसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह के कायम मुकामः–
   5.1. गजेसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह निवासी– गजसिंह पुरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
   5.2. छैलकंवर पुत्री श्री भंवरसिंह जाति राजपूत, निवासी– मलार, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
6. छैलकंवर पुत्री श्री भंवरसिंह जाति राजपूत, निवासी– मलार, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
7. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भोपालगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर भोपालगढ राजस्व मूल वाद संख्या 15/2018 जबरसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि

उपस्थित–

श्री रमेश कुमार, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 7

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

छैलकंवर पुत्री श्री भंवरसिंह, पत्नी श्री करणीसिंह, जाति राजपूत, निवासी– मलार, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. जबरसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह
2. दलीपसिंह उर्फ दलपतसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह
3. रसालकंवर पत्नी श्री फतेहसिंह
4. किरणकंवर पुत्री श्री फतेहसिंह

   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– गजेसिंहपुरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
5. भंवरसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह के कायम मुकामः–
   - 5.1. रणवीरसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
   - 5.2. गजेसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
   - 5.3. करणसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
   - 5.4. मंगलसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह

     सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण– गजसिंहपुरा, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
   - 5.5. छैलकंवर पुत्री श्री भंवरसिंह जाति राजपूत, निवासी– मलार, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
6. भूमिधारी जरिये तहसीलदार भोपालगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 सहायक कलक्टर भोपालगढ राजस्व मूल वाद संख्या 15/2018 जबरसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि

उपस्थित–

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक : 05 फरवरी 2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दोनो अपीलों के अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 15/2018 अनवान जबरसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 के खिलाफ आलौच्य अपीले अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 16 अगस्त 2023 को प्रस्तुत की है।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति, पक्षकारान्, कानूनी बिंदु समान होने तथा एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग– अलग निर्णय प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से चार ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1110 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 1145 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नं. 1149 रकबा 07 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 1155 रकबा 11 बीघा, खसरा नं. 1211 रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा ग्राम गजसिंहपुरा तहसील भोपालगढ के संबंध धारा 88, 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 पारित कर तहसीलदार भोपालगढ से विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपीले प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स(दोनो अपीलों के अपीलांट्स) ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी संयुक्त बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की गई थी, किंतु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करते वक्त मामले में तनकीवार विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो अपास्त योग्य है। प्रतिवादीगण/अपीलांट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय के समक्ष निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण की सहदायगी की भूमि न होकर अपीलांट्स के पिता की खरीदसुदा भूमि है, जिसमें वादीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है। विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

द्वारा अपीलांट छैलकंवर पर सम्मनों की सम्यक तामील ही नहीं करवायी गई तथा न ही उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अपीलार्थीनी छैल कंवर द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी प्रस्तुत कर एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किये जाने तथा अपीलार्थीनी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अपीलार्थीनी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाये गये। कानूनन बिना प्रदर्श मार्क दस्तावेज पढे नहीं जा सकते है। मौखिक साक्ष्य द्वितीय साक्ष्य की श्रेणी में आते है। द्वितीय साक्ष्य कतई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं हो सकती है एवं केवल कथनों के आधार पर राजस्व रेकर्ड पर संदेह नहीं किया जा सकता है। जहां तक नामांतरकरण के इन्द्राज का प्रश्न है, उक्त नामांतरकरण अपीलीय आदेश है, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अपीलार्थीनी छैल कंवर पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिये वादग्रस्त आराजी की खातेदार दर्ज है। उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री क्षेत्राधिकारिता के बिंदु से बाधित होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दोनो अपीले स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 15/2018 अनवान जबरसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 को खारिज फरमाया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक से चार के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी अपीलांट छैलकंवर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। इस कारण विचारण न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल लायी गई। अपीलार्थीनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीनी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किया है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के दादा शैतानसिंह की खातेदारी की भूमि होने से उनकी पुश्तैनी भूमि है। वादीगण का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजी में जन्म से हक–हिस्सा निहित है। प्रतिवादी संख्या एक भंवरसिंह द्वारा गलत रूप से संपूर्ण आराजी का नामांतरकरण अपने अकेले के नाम से दर्ज करवा लिया था। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई हैं। ऐसी स्थिति में दोनो अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पत्र उपलब्ध अभिलेख मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वाद एवं जवाबदावा के आधार पर मामले में निम्नलिखित तनकीयात कायम किये:–

01. आया वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रत्येक 1/5–1/5 हिस्से का खातेदारी उद्घोषणा के अधिकारी है?

जिम्मे वादीगण....

02. आया वादग्रस्त आराजीयात पर मुताबिक उद्घोषणा उभय–पक्ष के मध्य बंटवाड़ा किया जावे?

जिम्मे वादीगण....

03. आया वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की क्रयसुदा भूमि है एवं उक्त भूमि के अलावा भी वादीगण की अन्य पैतृक भूमि है, जिस पर वादीगण द्वारा वाद पेश नहीं किया गया है?

जिम्मे प्रतिवादीगण...

04. दादरसी?

विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित किये जाने के पश्चात वादीगण से साक्ष्य लेकर मामले में प्रतिवादीगण की साक्ष्य हेतु पेशी दिनांक 06.07.2022 को नियत की गयी तथा प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुति के सम्यक अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 28.09.2022 को प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद कर दिया जाना पाया जाता है। इसी दरम्यान प्रतिवादी/अपीलांट छैलकंवर जो वादग्रस्त आराजी में जरिये दान विलेख सहखातेदार काश्तकार है, की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 07

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सीपीसी प्रस्तुत किया जाकर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट छैल कंवर को वाद में जवाब प्रस्तुति एवं साक्ष्य–सुनवाई का अवसर प्रदान न कर उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आदेश दिनांक 17.07.2023 के जरिये खारिज करते हुए एकपक्षीय कार्यवाही को बहाल रखा गया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत पूर्व में विरचित तनकीयात पर अपना निष्कर्ष पारित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है।

वादीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनकी पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1145, 1155, 1149, 1110, 1211 सहित अन्य भूमियॉ वक्त सेटलमेंट वादीगण के पूर्व शैतानसिंह वल्द जवारसिंह के नाम दर्ज रही है, जिनका रकबा 299 बीघा 15 बिस्वा बनता है। वादीगण द्वारा अपीलांट्स के पिता भंवरसिंह के नाम भूमियों के संबंध में ही वाद प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। उनके द्वारा अन्य भूमिया जो वक्त सेटलमेंट स्व. शैतानसिंह के नाम दर्ज रही है, के संबंध में वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा न उन भूमियों की वर्तमान स्थिति को स्पष्ट किया है। यह भी उल्लेखनीय कि प्रतिवादीगण/अपीलांट्स का कथन है कि वादग्रस्त आराजी उनके पिता भंवरसिंह की खरीदसदु भूमि है, किंतु अपीलांट्स द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को साक्ष्य प्रस्तुति का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा मामले का तनकीवार विवेचन करते हुए इन सभी तथ्यों की स्थिति को स्पष्ट किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधिविरूद्ध पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरती है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर दोनो अपीले आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 15/2018 अनवान जबरसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28 जुलाई 2023 खारिज किये जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट्स का जवाब प्रस्तुति एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत मामले में तनकीवार विवेचन करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27 फरवरी 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर